(137)

संख्या– 62 /XV-2/1(01)/2006(डेरी बजट)

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 जनवरी, 2012:

विषय– वित्तीय वर्ष 2011–12 में डेरी विभाग को आयोजनेत्तर में पुर्नविनियोग की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–1446–47/लेखा बजट आयोजनेत्तर पत्रा0/ 2011–12, दिनांक 09–जनवरी, 2012 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–590/XV-2/1(01)/2006, दिनांक 15–04–2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में डेरी विकास विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध मदों में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार मानक मद 03–मंहगाई भत्ता मद में हो रही बचतों ₹ 1075 हजार को 01–वेतन मद में ₹ 550 हजार तथा 06 –अन्य भत्ते मद में रू0 525 हजार का पुर्नविनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. निदेशक,डेरी द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट कर पॉच दिवस के भीतर जिला–स्तरीय अधिकारियों को एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. निदेशक, डेरी द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय न की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
4. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
5. व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।

ह/–

6. नये पदों के सृजन/ढ़ाचे, नयी नीति निर्धारण अथवा वर्तमान नीति में संशोधन, करों/यूजर चार्जेज में संशोधन, निधियों का गठन, अनुदान राशि में संशोधन, नियमावलियां आदि सभी प्रकरण शासन को भेजे जाये ताकि वित्त विभाग के परामर्श से अनुमोदन दिया जा सके।
7. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेंगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–230(NP)/वित्त–4/2011, दिनांक 24–01–2012 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नः– बी0एम0–15 ।

भवदीय,

/

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव ।

संख्या– 62 /XV-2/1(01)/2006तद्दिनांक 27-01-2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मंत्री, दुग्ध विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु ।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु ।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव ।

प्रपत्र बी0एम0–15

विभाग का नाम–पशुपालन अनुभाग–02
आयोजनेत्तर

वित्तीय वर्ष 2011–12 में पुर्नविनियोग
नियंत्रक अधिकारी–निदेशक डेरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड हल्द्वानी(नैनीताल)
अनुदान संख्या–28

(धनराशि ₹ हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (दि0 31.12.11 तक)	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 5 कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद कालम–1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
अनुदान संख्या–28(आयोजनेत्तर) लेखाशीर्षक– 2404–डेरी विकास–00–001– निदेशन एवं प्रशासन 03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान **03–मंहगाई भत्ता 13200**	9175	2950	1075 **क**	**अनुदान सं0–28(आयोजनेत्तर)** लेखाशीर्षक– 2404–डेरी विकास–00–001– निदेशन एवं प्रशासन 03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान **01–वेतन 550** **08–अन्य भत्ते 525**	22550 2945 **ख**	03–मंहगाई भत्ता 12125	**क**– आवश्यकता न होने के कारण। **ख**– आवश्यकता होने के कारण।
योग :– 13200	**9175**	**2950**	**1075**	**1075**	**25495**	**12125**	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग के बजट मेनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों व सीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
संख्या– 230 (NP) (A)/वित्त अनुभाग–4/2012
देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2012

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव (वित्त)

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या– 62/XV-2/1(01)/2006, तद्दिनांक 27-1-12

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
2. वित्त अनुभाग–04.

25/1/12

आज्ञा से,
(जी0बी0 ओली)
सयुक्त सचिव।